TS/DSDM-I
18/7

F.No. 47-14/2013-NDM-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

'B' Wing 3rd Floor, NDCC-II Tower
Jai Singh Road, New Delhi-110001

Dated the 15th July, 2013

To,

Shri Gautam Ghosh
Deputy Secretary (DM-I),
Ministry of Home Affairs

Subject: Transfer of Application received under the RTI Act, 2005 of Shri Pawan Agarwal Under Section 6(3) of the RTI Act-reg.

I am to say that Shri Pawan Agarwal vide his letter dated 28.6.2013 (received in this DM-II Division On 15.7.2013) on the above mentioned subject.

2. As the information sought by the applicant is maintained in your Division, his application is transferred to you Under Section 6(3) of RTI Act, 2005 for taking necessary action.

Yours faithfully,

(Ashok Shukla)
Deputy Secretary (DM-II) & CPIO
Telefax: 23438071

Copy for information to : 1. Shri Pawan Agarwal, Jilal Street Mandi Chowk, Muradabad, Uttarpradesh.
2. RTI Cell Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi w.r.t. No. A-43020/01/2013-RTI Dated 8.7.2013

TD(DM)
9
18/7

15/7/13

47-14/2013

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 8/07/, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/~~श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल का दिनांक 28/06/2013 का आवेदन (प्रधान मंत्री कार्यालय से अंतरण द्वारा इस मंत्रालय में दिनांक 05/07/2013 को प्राप्त) सूचना मुहैया करवाने के लिए आपदा प्रबन्धन प्रभाग को अंतरित करने का निदेश हुआ है क्योंकि मांगी गई सूचना का उक्त प्रभाग के कार्यों से निकटतम रूप से संबंध है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए, आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को आगे अंतरित कर दिया जाए।

3. आवेदक ने 10/- रु. के अपेक्षित आवेदन शुल्क ~~का दिनांक / /2013 की रसीद संख्या के तहत भुगतान कर दिया है (प्रति संलग्न)/नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) की श्रेणी का होने का दावा करता है/से संबंध रखता है।~~ प्रधान मंत्री कार्यालय में जमा कर दिया है।

संलग्नक: यथोपरि।

सु. सामंत

(एस सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (डी एम - II)
गृह मंत्रालय
एन डी सी सी - II भवन
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ

श्री/~~श्रीमती/कु.~~ पवन अग्रवाल
जौलाल स्ट्रीट मण्डी चौक
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

(उनसे इस मामले में आगे की सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है)

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3083/2013-पीएमआर

दिनांक: 02.07. 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री पवन अग्रवाल से प्राप्त दिनांक 28.6.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.7.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

JS(A)
JS(DM)

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री पवन अग्रवाल
नि0 जीलाल स्ट्रीट
मण्डी चौक, मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

4425/RTI/2013
8/7/13

Dir(DM-I)

3083/13

3083-13-250713 64

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रधानमंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचनायें प्राप्त करना चाहता है इस बाबत निर्धारित शुल्क अंकन 10/– रू0 का पोस्टल आर्डर संख्या–17F879307 साथ में सलग्न कर प्रस्तुत है।

1. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उसकी सूचना उपलब्ध कराये।

2. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में जो धनराशि एकत्रित हुई उक्त धनराशि के वितरण में जो विधि अपनाई जा रही है उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

3. यह कि जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता हेतु आपदा प्रबन्ध विभाग में से जो धनराशि वितरित की गयी उसके उपभोग प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध कराये।

अतः प्रार्थना है कि समस्त सूचना बिन्दुवार मय प्रमाणित प्रति के समय अन्तर्गत प्राप्त कराने की कृपा करें।

दिनांकः– 28.06.2013

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

आवेदक Pawan

(पवन अग्रवाल)
आर0टी0आई0 एक्टिविस्ट
नि0– जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक, मुरादाबाद।
मो0– 9457685465

10239
01/07/13
06/07/13

IPO NO. 17F 879307 ₹ 10/-

877757

स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

3 1 JUL 2013

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 29 जुलाई, 2013

3 1 JUL 2013

सेवा में,

श्री पवन अग्रवाल,
नि0- जीलाल स्ट्रीट,
मण्डी चौक
मुरादाबाद

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 18.07.13 को प्राप्त अपने दिनांक 28.06.13 के आर.टी.आई आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड से संबंधित सूचनाएं मांगी गई हैं।

2. उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बिंदु संख्या 1 एवं 3 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि मांगी गई सूचनाएं इस विभाग से संबंधित नहीं है। क्योंकि मांगी गई सूचना का संबंध मुख्य सचिव उत्तराखंड से है। अतः आवेदन को मुख्य सचिव उत्तराखंड को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जाता है। इस सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि उचित जानकारी हेतु आप सीधे उर्पयुक्त विभाग से संपर्क स्थापित करें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

जी घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम-I)
टेलीफोन-23438123

क्रमशः2/-

प्रतिलिपि संलग्नको सहित निम्नलिखित को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून	उक्त आवदेक के आवेदन पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पर तुरंत कार्यवाही कर प्रार्थी को सीधे सूचना उपलब्ध कराये और उसकी एक प्रतिलिप इस मंत्रालय मंत्रालय को भी भेजने का श्रम करें ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतू:-

एन.डी.एम.-।। अनुभाग, (श्री अशोक शुक्ला, उप सचिव) डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 47-14/2013-एन.डी.एम-।। दिनांक 15.07.13)।

31/7/13